गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय

ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर

जी.बी.यू./002/प्रशा./एस.आई.ए./001/2025-13 दिनांकः13 .11.2025

::सूचना::

सक्षम स्तर द्वारा प्राप्त अनुमोदन के अनुपालन में विश्वविद्यालय के समस्त संकाय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निम्नांकित परियाजना के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का कार्य कराया जाना हैः-

''समुचित सरकार/जिला कलेक्टर द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या-1449/आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/ग्रेटर नोएडा/गौतम बुद्ध नगर, दिनांक 30.10.2025 के द्वारा जनपद गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर ईकोटेक-16 के विकास हेतु राजस्व ग्राम धूममानिकपुर क्षेत्रफल 3.0159 है0, सुनपुरा सोहनपुर क्षेत्रफल 2.4984 है0 व ग्राम खेडी क्षेत्रफल 4.1543, कुल क्षेत्रफल 9.6686 है0 भूमि अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करने के सम्बन्ध में''।

अतः उक्त परियोजना का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कार्य करने हेतु विश्वविद्यालय के इच्छुक संकाय सदस्य अपनी सहमती शपथ-पत्र के साथ 07 कार्य दिवसों के अन्दर ईमेल (sia@gbu.ac.in) के माध्यम से देने का कष्ट करें।

संलग्नकः-

1. मा0 प्रबन्ध बोर्ड की 38वीं बैठक के कार्यालय आदेश की छायाप्रति।
2. अहर्ताओं की छायाप्रति।
3. शपथ-पत्र का प्रारुप।

(डॉ0 शोभाराम)
उप कुलसचिव

प्रतिलिपिः

1. मा0 कुलपति महोदय के स्टॉफ को महोदय के संज्ञान में लाने हेतु।
2. कुलसचिव महोदय को सूचनार्थ।
3. डॉ संदीप सिंह राणा, सिस्टम मैनेजर, सेन्ट्रल कम्प्यूटर सेंटर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सूचना अपलोड कराने एवं समस्त स्कूलों के अधिष्ठातागण/विभागाध्यक्ष को ईमेल के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराने हेतु।
4. सम्बंधित पत्रावली।

13/11/25
उप कुलसचिव

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर

जी.बी.यू–02/प्रशा./2.1/2024-5026 दिनाँकः 27 अगस्त, 2024

:: कार्यालय आदेश ::

मा0 प्रबन्ध बोर्ड की 38वीं बैठक के मद संख्या–38.31.05 में लिए गये निर्णय के क्रम में सक्षम स्तर द्वारा प्रदत्त अनुमोदन दिनांक 27.08.2024 के अनुपालन में विभिन्न विभागों से विश्वविद्यालय को प्राप्त होने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण (Social Impact Assessment) के प्रोजेक्ट में कार्य किए जाने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती हैः–

1. प्रोजेक्ट (Social Impact Assessment) के प्राप्त होने पर प्रति प्रोजेक्ट में अधिकतम संकाय सदस्यों की भगीदारी सुनिश्चित किए जाने तथा सभी अर्ह संकाय सदस्यों को समान अवसर प्रदान करने हेतु प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए विश्वविद्यालय वेब साईट पर नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रोजेक्ट में कार्य करने के इच्छुक संकाय सदस्यों से निर्धारित समयावधि में आवेदन आमंत्रित किया जायेगा।
2. विश्वविद्यालय को प्राप्त होने वाले प्रोजेक्टों की भौगोलिक स्थिति, प्रोजेक्ट की वृहदता/आवश्यकता, अनुदानित धनराशि, संकाय सदस्यों की विशेषज्ञता, योग्यता एवं कार्यक्षमता इत्यादि का समेकित विश्लेषण करने के उपरान्त आवेदित संकाय सदस्यों में से अनुदानित प्रोजेक्ट पर कार्य करने हुए एक समिति का गठन मा0 कुलपति महोदय/अध्यक्ष, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा किया जायेगा।
3. प्रोजेक्ट (Social Impact Assessment) में कार्य करने हेतु इच्छुक संकाय सदस्यों से इस आशय का एक शपथ–पत्र लिया जाना कि प्रोजेक्ट में कार्य करने से उनके दैनिक, शैक्षिक/शोध कार्यकलापों तथा विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये अन्य कार्य दायित्वों पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा तथा वे प्रोजेक्ट की नियमानुसार अर्हता रखते हैं।
4. उक्त प्राप्त प्रोजेक्ट में होने वाले आवश्यक व्ययों, गणना एवं वित्तीय नियमों के परीक्षण इत्यादि हेतु वित्त विभाग के एक सदस्य को भी सामाजिक समाघात निर्धारण (Social Impact Assessment) में रखा जाना।
5. उक्त प्राप्त प्रोजेक्ट में सामाजिक समाघात निर्धारण (Social Impact Assessment) सम्बन्धी कार्यों के समयान्तर्गत सफल संचालन हेतु निम्नानुसार मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाता हैः–

1. अधिष्ठाता शैक्षिक	–	अध्यक्ष
2. अधिष्ठाता, ह्यमि0एण्ड सो0सा0	–	सदस्य
3. अधिष्ठाता, प्लानिंग एण्ड रिसर्च	–	सदस्य

6. विश्वविद्यालय में (Social Impact Assessment) का कार्य करने पर अधिकतम समेकित धनराशि रू0 50,000/-(पचास हजार मात्र) प्रति प्रोजेक्ट प्रति संकाय सदस्य को बजट की धनराशि से कार्य सम्पन्न होने के उपरांत भुगतान किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त मा. बोर्ड के सदस्यों द्वारा प्रबन्ध बोर्ड बैठक में प्रस्तावित प्रस्ताव मद संख्या-38.31.05 में आंशिक संशोधन करते हुए प्रस्ताव में अंकित उपर्युक्त नियम व शर्तो के साथ-साथ सामाजिक समाघात निर्धारण (Social Impact Assessment) समिति में एक वाह्य सदस्य को भी सम्मिलित करते हुए उक्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया। वाह्य सदस्य कुलपति/अध्यक्ष प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नामित किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(डॉ0 विश्वास त्रिपाठी)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः

1. मा0 कुलपति महोदय के कार्यालय को महोदय के संज्ञानार्थ।
2. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ।
3. अधिष्ठाता शैक्षिक, को सूचनार्थ।
4. अधिष्ठाता, ह्यमि0एण्ड सो0सा0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिष्ठाता, प्लानिंग एण्ड रिसर्च को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

3. ELIGIBILITY CRITERIA FOR INDIVIDUAL CONSULTANT/EXPERT

Individual consultants/experts with the domain expertise and qualification **(as given in Table 2, points 2 and 3)** can apply for empanelment.

The individual experts/consultants belonging to the local areas may be given preference as these may have a thorough understanding of the local demography, economy, socioeconomic and political relations, etc., of the state/region where the land is being acquired.

The individual experts/consultants are expected to provide specific inputs in their respective areas of specialization. In addition, the individual experts/ consultants shall also have a broad understanding of SIA and further provide support in writing of SIA report in the local language/dialect.

The state SIA unit can select the organizations or individual consultants or a combination of both for formation a SIA team to conduct the desired assessment.

Table 2: Eligibility criteria for empanelment of an individual expert

S. no.	ELIGIBILITY CRITERIA	DETAILS OF CRITERIA	PROOF
1.	Legal identity	Individuals having experience in various domain with valid paperwork areas shall be empanelled	i. Valid PAN card/Aadhar card ii. Audited balance sheet/ IT returns for last three years, certified by chartered accountant
2.	Past experience	A consultant/expert having experience in land acquisition, socioeconomic survey, involved in preparation and implementation of R&R, CSR or State or Central run social scheme or training and capacity building and alike	Completion certificates, satisfaction certificate or letter of award
3.	Qualifications	Individual experts/consultants may be independent practitioners, social experts, academicians, technical experts and the like. They may have a graduate or post-graduate degree in Social Science subjects such as Sociology, Social Work, Economics, Natural Sciences or Humanities, Geography, Political Science and the like. **An expert/consultant with a graduate degree shall have at least eight years of work experience while experts/ consultants with a Master's degree shall have at least five years of relevant experience.** Individual experts/consultants may also have a Master's or Bachelor's degree in technical subjects such as Engineering, Architecture, Agriculture, Forestry, Environment Planning, Town Planning and the like, with proven experience in undertaking land acquisition, socioeconomic survey, implementation of R&R and/or CSR, or state- or centrally-run social schemes.	Relevant certificates/documents

28/6/24

4.	Domain area	**Individuals** should have expertise in any of the following and may apply for empanelment based on experience and qualification given in **Table 2, points 2 and 3** • Experience in land surveying • Expertise in cost–benefits analysis • Valuation of site alternative • Valuation of structure/crop/utilities • Experience in preparation and or implementation of R&R plan • Experience in community mobilization and engagement • Monitoring and evaluation • Experience in preparation and formulation of entitlement framework and compensation package • Expertise in GIS • Expertise and experience in training and capacity building • Experience and expertise in gender, CSR, livelihood restoration, community development and the like	Completion certificates/ satisfaction certificate/letter of award

4. DISQUALIFICATION

The criteria for the disqualification of an organization as well as an individual with association are given below:

The following shall be considered as disqualification for both organizations and individuals:

i. An organization/individual expert/consultant can be disqualified in case of any false information leading to empanelment

ii. An organization/individual expert/consultant shall be disqualified if they have been blacklisted by any organization in India for non-performance of work

iii. An organization/individual expert/consultant shall be disqualified if they have indulged in corrupt or fraudulent practices or failed to complete the assignments on time or are favouring the requiring body

iv. Abuse of data, information or reports in their custody or found to have made false or incorrect declarations will lead to disqualification

v. An organization, individual expert or consultant involved in corrupt practices by any public agency, private agency or individuals from the organization convicted for fraudulent practices shall be disqualified

vi. An organization, individual expert or consultant is known to have been engaged in an activity that is prohibited by law in India and/or has been declared guilty by the court of law

vii. Any organization, individual expert, consultant facing such a situation shall not be entitled to apply. In case of empanelment without disclosing all the relevant facts, the empanelment is liable to be cancelled as soon as the matter is discovered and documented

:: शपथ–पत्र ::

मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी,... यह शपथ–पत्र इस आशय से प्रस्तुत करता/करती हूँ कि मैं परियोजना (Social Impact Assessment) में कार्य करने के कारण मेरे दैनिक शैक्षिक/शोध कार्यकलापों तथा विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए अन्य कार्य दायित्वों पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम...............................

पद................................

विभाग............................